पीठासीन अधिकारियों के लिए

निर्देश

विधान सभा

सामान्य निर्वाचन–2012

उ0प्र0

पीठासीन अधिकारियों के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश

पीठासीन अधिकारियों द्वारा मुख्यतः पाँच स्तरों पर कार्य सम्पन्न किये जाने हैं:–

- नियुक्ति होने पर
- मतदान के एक दिन पूर्व
- मतदान के दिन वास्तविक मतदान के पूर्व
- मतदान समय के दौरान
- मतदान पूर्ण होने के पश्चात

नियुक्ति होने पर :–

निर्वाचन ड्यूटी प्राप्त होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण कक्ष में आप अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। प्रत्येक मतदान कार्मिक को एक कोड नम्बर आंवटित है जिसे हमेशा याद रखें। अपने कार्यालयाध्यक्ष के सम्पर्क में रहें, जिससे द्वितीय प्रशिक्षण एवं प्रस्थान दिवस की जानकारी आपके कार्यालयाध्यक्ष के माधयम से आपको प्राप्त हो सके।

– निम्नलिखित पम्पलेट तथा बुकलेट को बहुत सावधानी पूर्वक पढें:–

- (अ) पीठासीन अधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका।
- (ब) इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ई0वी0एम0) की हस्तपुस्तिका ।
- (स) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारियों को समय–समय पर दिये जाने वाले आवश्यक निर्देश सम्बन्धी पत्र।

– इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की संचालन विधि से भलीभांति परिचित हो लें और वोटिंग मशीन का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। प्रशिक्षण को बहुत ही ध्यानपूर्वक प्राप्त करें। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उसके कार्यों प्रपत्रों और लिफाफों के सम्बन्ध में किसी तरह का कोई भ्रम न रहें। यदि इस सन्दर्भ में कोई भ्रम है तो इसे अपने प्रशिक्षक/सहायक रिटर्निंग आफीसर /रिटर्निंग आफीसर से स्पष्ट करें।

(पीठासीन अधि0 की चेक लिस्ट–2009)

– सांविधिक एवं असांविधिक कार्यों के विभिन्न प्रपत्रों को ध्यानपूर्वक पढें जो कि पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका में है।

– पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान के समय अपनी पोलिंग पार्टी के अन्य सदस्यों से परिचित हो लें । मतदेय स्थल पर जाने से पहले निर्धारित वाहन, मार्ग आदि के बारे में जानकारी कर लें तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट से दिशा निर्देश प्राप्त कर लें।

– आप अपने मतदेय स्थल पर ही रात्रि विश्राम करेगें और किसी बाहरी व्यक्ति का खाना अथवा सहयोग नहीं लेगें।

- मतदान समय के दौरान आप अपना फोटोयुक्त परिचय पत्र अवश्य लगाए रहें।
- विधान सभा क्षेत्र का नाम, संसदीय क्षेत्र का नाम , मतदेय स्थल का नाम व नम्बर तथा उसकी स्थिति एवं नियुक्ति आदेश को सावधानी पूर्वक जाँच लें।
- पोलिंग स्टेशन जाने से पहले निर्धारित वाहन, पहले से निर्धारित मार्ग तथा चेक पोस्ट आदि के बारे में सेक्टर मजिस्ट्रेट से सहायता लें तथा दिशा निर्देश प्राप्त करें।
- मतदान हेतु ई0वी0एम0 प्राप्त करते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिट पर बैलेट पेपर ठीक ढंग से लगा है।
- सेकेण्ड रैण्डमाईजेशन के बाद सम्बन्धित बूथ के लिए आरक्षित बैलेट यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट के नम्बरों का सम्यक मिलान कर लिया जाय।

पोलिंग पार्टी का प्रशिक्षणः–

(क) रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त अद्यतन पीठासीन अधिकारी हस्त–पुस्तिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें।

(ख) प्रथम प्रशिक्षण में भाग लेकर सभी सामान्य जानकारी प्राप्त कर लें व ई0वी0एम0 पर सावधानी पूर्वक व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर अपनी शंकाओं का समाधान कर लें।

(ग) द्वितीय प्रशिक्षण एवं प्रस्थान दिवस की जानकारी आपको कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से दी जायेगी, अतएव उनके सम्पर्क में रहे। द्वितीय प्रशिक्षण में सम्बन्धित काउन्टर से स्टेशनरी का थैला प्राप्त कर लें व अपनी पोलिंग पार्टी से मिलकर परिचय प्राप्त कर लें तथा आपस में सम्पर्क बनायें रखें।

- <u>मतदान के एक दिन पूर्व</u> :–
- मतदान के एक दिन पूर्व आपको निर्धारित समय के अन्दर पार्टियों की रवानगी स्थल पर आना है व अपने मतदान स्थल से सम्बन्धित काउन्टर से अपने बूथ की ई0वी0एम0, निर्वाचक नामावली, टेन्डर बैलेट पेपर, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील, मतदाता रजिस्टर एवं अन्य सामग्री प्राप्त कर लें और यह सुनिश्चित करें कि:–
- यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपको प्राप्त बैलेट यूनिट तथा कट्रोल यूनिट आपके मतदेय स्थल की ही है। सेकेण्ड रैण्डमाईजेशन के पश्चात आरक्षित मशीन नम्बर को भी जांच लें।
- कंट्रोल यूनिट का ''कैण्डीडेट सेक्सन'' अच्छी तरह से सील हो और एड्रेस टैग सही लगा हो।

- कंट्रोल यूनिट की बैट्री हाई पोजीशन पर हो एवं कंट्रोल यूनिट के निरीक्षण के बाद बैट्री को बन्द कर दिया जाय।
- बैलेट यूनिट पूरी तरह से सील हो और एड्रेस टैग ठीक से लगा हो ।
- समुचित मतपत्र प्रत्येक बैलेट यूनिट पर लगा दिया गया है और मतपत्र उचित रूप से पंक्तिबद्ध है।
- प्रत्येक बैलेट यूनिट में स्लाइड स्विच सही स्थान पर (बैलेट यूनिट के अनुसार) लगा हो।
- पीठासीन अधिकारी को हस्तपुस्तिका के उपाबंध 5 (अध्याय 3, पैरा 1) में वर्णित चुनाव सें सम्बन्धित सभी सामग्रियां जरूरत के अनुसार उपलब्ध करायी गई है अथवा नहीं। इसे अच्छी प्रकार चेक कर लें।
- पेपरसील की क्रम संख्या को चेक कर उसका नम्बर नोट कर लें।
- मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) का निम्न प्रकार से परीक्षण करें:–

1. सप्लीमेंट (पूरक) की प्रतियां 1, 2 दी गई हैं।
2. निर्वाचक नामावली एवं पूरक प्रतियों के सभी भाग सही क्रम में दिये गये हैं।
3. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति की पृष्ठ संख्या सही क्रम में हैं।
4. निविदत्त मतपत्र उसी विधान सभा क्षेत्र के हों ।
5. परिवार रहित एवं परिवार सहित अनुपस्थित मतदाताओं की सूची, कम्युनिकेशन प्लान की प्रति तथा मतदेय स्थल के अर्न्तगत वल्नरेबल क्षेत्रों तथा पुरवों की सूची प्रस्थान के पूर्व अवश्य प्राप्त कर लें। मतदाताओं की पहचान के लिए आई0आर0एल0 (इमेज रिफरल सीट) प्राप्त कर लें।

6. चुनाव अभिकर्ता/ प्रत्याशी के नमूना हस्ताक्षर प्राप्त कर लें, जो मतदेय स्थल पर चुनाव अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र पर किये गये प्रत्याशी के हस्ताक्षर की सत्यता प्रमाणित करने में सहायक होगी ।

7. अन्य महत्वपूर्ण चुनाव समग्रियों जैसे– डमी कार्ड बोर्ड ई0वी0एम0, स्टैम्प पैड, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रीप सील, सम्बन्धित निर्वाचक नामावली और मतदाताओं का रजिस्टर (फार्म 17 ए) एवं फार्म 17 सी आदि चेक कर लें।

- प्रत्याशियों की दी गयी सूची की प्रति जाँच लें और उसे बैलैट पेपर से मिलान कर लें।
- यह भी देख लिया जाय कि अमिट स्याही की शीशी में पर्याप्त मात्रा में अमिट स्याही है और वह सूखी तो नहीं है।
- क्रास ऐरो सील वाले रबर स्टैम्प और ब्रास सील की जाँच कर लें। सुनिश्चित करें कि क्रास ऐरो सील के दोनों सिरों पर रबर क्रास सील लगी हो और स्टैम्प सूखा न हो।
- यदि आपका मतदेय स्थल संवेदनशील है तो वहां पर फोटोग्राफर/ वीडियोग्राफर/माइक्रो आब्जर्बर की नियुक्ति की जायेगी,उसकी जानकारी प्राप्त कर लें ।
- आप अपने पोलिंग पार्टी के साथ निर्धारित वाहन से ही जायेंगें।

अपने मतदेय स्थल पर पहुँच कर सुनिश्चित करें कि

- पुरूष एवं महिला मतदाताओं के लिए अलग–अलग लाइनों की व्यवस्था हो।
- मतदाताओं के आने व जाने के लिए अलग–अलग रास्ते होने चाहिए।
- मतदाताओं के लिए अपना मत अभिलिखित करने के लिए पर्याप्त प्रकाश वाला मतदान कक्ष होना चाहिए।
- मतदान क्षेत्र और उसके मतदाताओं के बारे में ब्यौरा दर्शित करने वाली सूचना विशिष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी गयी है।
- निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति विशिष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी गयी है।
- यदि आपके मतदान केन्द्र पर महिला मतदाताओं की सं0 अधिक है तो महिला मतदाताओं की पहचान के लिए एक सहायक महिला की नियुक्ति आर0ओ0 द्वारा की जायेगी। इसे भली भांति चेक कर लिया जाये।

- उस स्थान का सुनिश्चित करें जहां आप, अपने पोलिंग अधिकारी तथा प्रत्याशियों के मतदान अभिकर्ता बैठेगें तथा कट्रोल यूनिट रखी जायेगी।
- मतदेय स्थल पर किसी भी पार्टी के किसी नेता का चित्र हो तो हटा दें या पूरी तरह से ढक दें।
- आपके द्वारा प्राप्त की गयी चुनाव सामग्री एवं वोटिंग मशीन मतदान के समय तथा मतदान के पूर्ण हो जाने के पश्चात संग्रह काउण्टर में जमा होने तक अपनी अभिरक्षा में रखी जाय। किसी भी दशा में निर्वाचन सामग्री एवं ई0वी0एम0 किसी अन्य व्यक्ति अथवा सुरक्षाकर्मी की अभिरक्षा में न दें।
- मतदान केन्द्र पर पहुंचने पर सुनिश्चित करें कि मतदान क्षेत्र एवं निर्धारित मतदाताओं की संख्या तथा प्रत्याशियों की सूची प्रति प्रदर्शित हो।

मतदान के दिन,मतदान के पूर्व की कार्यवाही :–

- मतदेय स्थल पर पहुँचकर पीठासीन अधिकारी को घूमकर 200 मी0 परिधि की जानकारी ले लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी राजनैतिक दल के पोस्टर बैनर, झण्डा, नारे आदि न लिखे हों।
- यदि कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी की नियुक्ति का प्रबन्ध करें। पीठासीन अधिकारी मतदान के 75 मिनट पूर्व मतदान की तैयारी हेतु कार्यवाही शुरू कर दें। विभिन्न पार्टियों के उपस्थित पोलिंग एजेण्टों को उनके प्रत्याशी द्वारा दिये गये प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हे प्रवेश पास जारी करें। मतदान के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व माकपोल (छदम मतदान) करायें यदि दो या दो से अधिक पोलिंग एजेण्ट उपस्थित नहीं हैं तो 10 मिनट और इन्तजार करें। तत्पश्चात माक पोल की कार्यवाही पूर्ण कर लें ।
- माक पोल के बाद वोटिंग मशीन सील करने के पहले माक पोल के परिणाम को मिटा दें।

- ग्रीन पेपर सील लगायें तथा रिजल्ट सेक्सन को बन्द कर स्ट्रिप सील तथा एड्रेस टैग लगाकर सील कर दें। रिजल्ट सेक्सन बन्द करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि ई0वी0एम0 मशीन का कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच 'ऑफ' हो। माक पोल की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात पीठासीन अधिकारी निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र भी देगें ।
- मत प्रकोष्ठ एवं नियंत्रण इकाई एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर स्थित हो, बैलेट यूनिट मत प्रकोष्ठ के टेबिल पर रखे।
- बैलेट यूनिट और नियंत्रण यूनिट को जोड़ने वाली केबिल इस प्रकार से रखी हो कि मतदाताओं के मतदान कक्ष में आने–जाने में अवरोध न हो ।
- मत की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मत प्रकोष्ठ को मतदेय कक्ष के दरवाजे व खिडकी के सामने नहीं होना चाहिए।
- अमिट स्याही की शीशी इस तरीके से रखें जिससे स्याही फैलने न पाये।
- पीठासीन अधिकारी को सी0पी0एफ0/राज्य पुलिसकर्मी/होमगार्ड की तैनाती जाँच कर मतदेय स्थल की परिधि की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

- यदि मतदान वाले कमरे में एक ही दरवाजा है तो इस स्थिति में रस्सी एवं बांस की सहायता से दरवाजे को बीच से दो भागों में आने और जाने के लिए व्यवस्था कर देनी चाहिए ।
- मतदान अधिकारी एवं एजेण्टों की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि वे निर्धारित प्रक्रिया को देख सकें लेकिन बैलेट यूनिट एवं मतदान के समय मतदाता द्वारा किसी विशिष्ट बटन दबाकर मत देते समय न देखें ।
- मतदेय स्थल वाले कमरे में प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ।
- पोलिंग एजेण्ट को इस तरह बैठना चाहिए कि जिससे वह मतदाता का चेहरा मतदान केन्द्र में प्रवेश करते समय देखकर पहचान कर सके।
- पीठासीन अधिकारी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मतदान केन्द्र के 200 मीटर के क्षेत्र की परिधि (दायरा) उनके नियंत्रण में है।
- राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के पोस्टरों को हटाना सुनिश्चित किया जायें।

- किसी भी राजनैतिक दल के नेता की फोटो या चिन्ह या नारा जिससे चुनाव प्रभावित हो को प्रदर्शित न किया जाय यदि वह वहाँ मौजूद हो तुरन्त प्रभाव से हटवाना चाहिए ।
- मतदान केन्द्र के अन्दर किसी भी काम के लिए आग जलाना या खाना बनाना पूर्णतया प्रतिबंधित है।
- मतदेय स्थल पर मतदान अभिकर्ताओं के बैठने का प्राथमिक क्रम निम्नवत होगाः–
  - मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी ।
  - मान्यता प्राप्त प्रादेशिक दलों के प्रत्याशी ।
  - दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त दलों के वे प्रत्याशी जिन्हे चुनाव क्षेत्र में अपने आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रयोग करने की अनुमति दी गयी हो ।
  - पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशी ।
  - निर्दलीय प्रत्याशी ।
- मतदान केन्द्र के अन्दर कोई भी अस्त्र–शस्त्र लेकर नहीं जायेगा।

- यह सुनिश्चित करें कि आपके मतदेय स्थल पर नियुक्त पोलिंग एजेण्ट्स उसी बूथ के मतदाता हों एवं उनके पास इपिक (फोटो पहचान पत्र) उप्लब्ध हो ।
- पोलिंग एजेण्ट्स के नियुक्ति पत्र जाँच लें एवं उनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्राविधानों की जानकारी दे दें तथा घोषणा को पढें। उन्हें बैठने का उचित स्थान दें।

<u>मतदान के दौरान</u> :–

- पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारियों के साथ मतदान के लिए सभी औपचारिकताएँ निर्धारित समय से पूर्ण करके निश्चित समय पर मतदान कराना सुनिश्चित करेगें।
- पीठासीन अधिकारी के साथ 3 अन्य मतदान अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है जिनके कर्तव्य इस प्रकार हैं:–

• प्रथम मतदान अधिकारी :–

- प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा और निर्वाचक की पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। मतदान स्थल में प्रवेश करने पर निर्वाचक सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास ही जायेगा जो पहचान के बारें में अपना समाधान करेगा।

द्वितीय मतदान अधिकारी:–

- द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का प्रभारी होगा। वह निर्वाचक के बांये हाथ की तर्जनी उंगली के नाखून के मूल के उपर अमिट स्याही का चिन्ह इस तरह से लगायेगा कि वह त्वचा और नाखून के बीच फैल जाये तथा तर्जनी पर स्पष्ट चिन्ह रह जाये। द्वितीय मतदान अधिकारी प्रारूप 17 क (मतदाता का रजिस्टर) का भी प्रभारी होगा । वह इस रजिस्टर में निर्वाचकों का उचित लेखा रखने का भी उत्तरदायी होगा जिनकी पहचान की जा चुकी है। यह अधिकारी मतदाता का रजिस्टर पर हस्ताक्षर/अगूंठा निशानी लेगा साथ ही उसकी क्रम संख्या तथा निर्वाचक नामावली के अनुसार निर्वाचक का क्रम संख्या लिखेगा व पहचान का विवरण दर्ज करेगा। इसके बाद मतदाता स्लिप जारी करेगा। मतदाता स्लिप में मतदाता निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या लिखेगा तथा उस पर अपना लघु हस्ताक्षर भी करेगा।

तृतीय मतदान अधिकारी :–

- तृतीय मतदान अधिकारी मशीन की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा। वह उसी मेज पर बैठेगा जहां पीठासीन अधिकारी बैठता है। ताकि पीठासीन अधिकारी नियंत्रण यूनिट और मतदान प्रक्रिया पर नजर रख सके। तृतीय मतदान अधिकारी निर्वाचक को मत कक्ष में जाने की अनुज्ञा द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी मतदान स्लिप के आधार पर और उस स्लिप में उपदर्शित क्रम संख्या के अनुसार देगा। यह अधिकारी नियत्रण यूनिट के उपयुक्त (मत) बटन को दबाकर मतदान कक्ष में रखी मतदान यूनिट (यूनिटों) को चालू करेगा तथा मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देने से पूर्व वह जाँच कर यह भी सुनिश्चित करेगा कि मतदाता की बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही का स्पष्ट चिन्ह है।

पीठासीन अधिकारी अपने सभी मतदान अधिकारियों पर नियत्रंण रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि मतदान अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहें है।

- आयोग द्वारा निर्धारित आगन्तुक पंजिका बनायी जाये जिस पर भ्रमण करने वाले प्रेक्षक, जोनल मजिस्ट्रेट/ सेक्टर मजिस्ट्रेट अपना नाम, समय डालते हुए उस समय तक पड़े मतों का विवरण अंकित करते हुए हस्ताक्षर बनायेगें।
- मतदान के दौरान कुछ बाध्य परिस्थितियों में यदि नयी वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए गोपनीयता की घोषणा पुनः पढ़कर सुनाना होगा।
- अमिट स्याही का सही प्रयोग सुनिश्चित करना होगा ।
- पीठासीन अधिकारी सांख्यकीय प्रपत्र पी0एस0 05 के लिए निर्धारित चिन्हांकन करेगा। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2012 में समस्त मतदेय स्थलों के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रयोग में लायी जायेगी । इस मतदाता सूची में प्रत्येक मतदाता के लिए विवरण बाक्स फोटो सहित बना हुआ है। मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाने पर मतदान अधिकारी प्रथम लाल स्याही से सम्बन्धित मतदाता के विवरण बाक्स में तिरछी रेखा खीचेगा तथा महिला मतदाता की स्थिति में लाल स्याही से बाक्स के उपरी हिस्से में बायी तरफ अंकित मतदाता क्रमांक को गोल करेगा।

- पी0एस0–05 के लिए फोटो पहचान पत्र तथा फोटो पहचान पत्र के बिना निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुमन्य –14 विकल्पों(संलग्नक–1) से मतदान करने वालों की संशय जानने के लिए मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर 17 ए के निर्धारित कॉलम में इपिक की दशा में इपिक नम्बर के अन्तिम चार अंक दर्ज करेगा तथा अन्य विवरण की स्थिति में विकल्प के लिए नाम के साथ उसके क्रमांक के चार अंक दर्ज करेगा जिससे उसे फोटो पहचान पत्र द्वारा तथा अन्य विकल्पों द्वारा मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या को प्राप्त कर सके ।
- मतदाता रजिस्टर 17–क पर समुचित अंकन करने के बाद मतदाता को मतदान पर्ची दी जायेगी।
- पीठासीन अधिकारी मतदान कक्ष के अन्दर मतदाताओं के आवागमन पर नजदीकी नजर रखेगें जिससे कोई भी मतदाता बिना वोट डाले मतदान कक्ष से बाहर न जाने पाये।

मतदेय स्थल में प्रवेश हेतु निम्न व्यक्ति अधिकृत होगें:–

- मतदान अधिकारी
- प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त एक मतदान अभिकर्ता ।
- आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जैसे– मीडियाकर्मी, सूक्ष्म निरीक्षक आदि।
- निर्वाचन के सम्बन्ध में कर्तव्यारूढ़ (वर्दी धारी तथा असलहा धारी को छोड़कर)लोक सेवक ।
- आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक।
- मतदाता के साथ में कोई गोद में शिशु/बच्चा।
- ऐसे अन्धे एवं शिथिलांग मतदाता जो बिना सहायता के चल फिर नहीं सकते, के साथ कोई व्यक्ति।
- ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें समय–समय पर मतदाताओं की पहचान के लिए या अन्य प्रकार से मतदान में आपकी सहायता करने के प्रयोजन के लिए आप प्रवेश करायें।

- पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी मतदाता मोबाइल फोन के साथ बूथ में प्रवेश न करें। (अध्याय 17–10)
- मतदान अधिकारी प्रथम को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जाय कि परिवार सहित एवं परिवार रहित अनुपस्थित मतदाताओं की सूची में वर्णित मतदाता की समुचित पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात ही अनुमति दें।
- यदि आपके मतदेय स्थल पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की जानी है तो इसके लिए प्रभारी अधिकारी तैनात किया जायेगा। फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी के लिए यह निर्देश है कि मतदाताओं का फोटो उसी क्रम में लिया जाय जिस क्रम में 17 ए पंजिका में अंकित क्रम में हो। प्रभारी अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा।
- पीठासीन अधिकारी मतदान प्रकोष्ठ के अन्दर न जायें यदि अपरिहार्य स्थिति में जाना आवश्यक हो तो मतदान अभिकर्ता को भी साथ में जाने के लिए अनुज्ञान करेगें। (अध्याय 20–5.1)

- मतदान के प्रत्येक 2 घण्टे के अन्तराल पर पीठासीन अधिकारी की डायरी में डाले गये मतों की संख्या अंकित करें। (अध्याय 14–19)
- यदि कोई मतदाता ई0वी0एम0 पर मतदान करना जानना चाहता हो तो डमी बैलेट यूनिट के द्वारा मतदान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी दें। (अध्याय 20–5.2)
- मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय पर मतदान की समाप्ति कर देना चाहिए व लाईन में उपस्थित मतदाताओं को वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके लिए पीठासीन अधिकारी लाइन में खड़े मतदाताओं को हस्ताक्षर युक्त पर्ची देगा जिस पर क्रम संख्या अंकित होगी तथा पहले नम्बर की पर्ची लाईन में खड़ें अन्तिम मतदाता से शुरू कर सभी मतदाताओं को दी जायेगी। पीठासीन अधिकारी यह भी तय करेगा की निर्धारित समय के बाद कोई भी मतदाता पंक्तिबद्ध न होने पाये । (अध्याय 27–1.2)

•मतदान के दौरान असाधारण जटिल मामलों के आने की संम्भावना रहती है। ऐसे प्रकरणों को पीठासीन अधिकारी स्वयं सुलझाएं एवं मतदान अधिकारी को अपने सामान्य कर्तव्यों का निर्वाहन करने दें।

मुख्यतः ऐसे प्रकरण होते हैंः–

•मतदाता को चुनौती। (अध्याय 18)

•अवयस्क द्वारा मतदान ।(अध्याय 18–10)

•दृष्टिहीन एवं अशक्त मतदाता द्वारा मतदान । (अध्याय 22)

•वे मतदाता जिन्होंने मतदान न करने का निर्णय लिया है।(अध्याय 23)

•टेण्डर वोट ।(अध्याय 27)

•मतदान की गोपनीयता भंग होना ।(अध्याय 21)

•मतदान स्थल पर नियम विरूद्ध आचरण व निषिद्ध व्यक्तियों को हटाना । (अध्याय 17–5)

• दंगा अथवा अन्य कारणों से मतदान अस्थाई रूप से स्थगित करना । अध्याय 28)

- मतदान की समाप्ति के पश्चातः– (उपाबंध–iii , अध्याय 1 पैरा 5)
- मतदान बंद करने के लिए नियत समय की समाप्ति पर मतदान केन्द्र में उपस्थित समस्त निर्वाचकों द्वारा मत देने के पश्चात आपको मतदान की समाप्ति की औपचारिक घोषणा कर देनी चाहिए और तत्पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करना चाहिए।
- अन्तिम मतदाता द्वारा अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात मतदान बन्द करने के लिए मतदान मशीन को बन्द किया जाना चाहिए ताकि मतदान मशीन में आगे और कोई मत रिकार्ड किया जाना सम्भव न हो। इस प्रयोजन के लिए आपको नियंत्रण यूनिट पर ''क्लोज'' बटन को दबाना चाहिए। क्लोज बटन दबाने के बाद उसके उपर लगे नीले रंग के रबर की कैप को बन्द कर देना चाहिए। क्लोज बटन दबाने पर मतदान मशीन में रिकार्ड किए गये मतों की कुल संख्या प्रदर्शित होती है जिसे प्रारूप 17 ग के भाग 1 की मद 5 में तत्काल नोट कर लेनी चाहिए । इसके बाद आप मतदान इकाई को नियंत्रण यूनिट से अलग कर पावर बटन को ''आफ'' कर दें।

- ई0वी0एम0 को दिये गये निर्देशों के अनुसार सील करें।
- मतदान पूर्ण होने के पश्चात मतदाता रजिस्टर 17 ए में अन्तिम मतदाता के क्रमांक के नीचे पीठासीन अधिकारी लाईन खीचेगा तथा अन्तिम मतदाता क्रमांक........है लिखकर अपना हस्ताक्षर बनाएगा तथा उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को भी हस्ताक्षर बनाने के लिए कहेगा।
- कुल हुए मतदान में महिलाओं की संख्या प्राप्त करें।
- पीठासीन अधिकारी, मतपत्र लेखा प्रारूप 17 ग को पूर्ण करें। मतदान समाप्ति पर प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को फार्म 17 ग (मतपत्र लेखा) की एक प्रमाणित प्रति प्रदान कर उनसे रसीद प्राप्त कर लें। (उपाबंध 13 भाग 1)
- मतदान समाप्ति के उपरान्त पीठासीन अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारियों की हस्तपुस्तिका के उपाबंध 7 भाग ।।। के अनुसार घोषणा की जायेगी।
- सभी मद भरे होने चाहिए । यदि मतदान केन्द्र पर कोई घटना हुई तो उसका उल्लेख डायरी में अवश्य होना चाहिए ।
- पीठासीन अधिकारी हस्तपुस्तिका में दिये गये निर्देश के अनुसार सभी निर्वाचन <u>प्रपत्रों को सील</u> करें।

- 5 सांविधिक प्रपत्रों का प्रथम पैकेट (हरे रंग) तैयार कर लें।
- 11 असांविधिक प्रपत्रों का द्वितीय पैकेट (पीले रंग) तैयार कर लें।
- 7 मदों का तीसरा पैकेट (भूरे रंग) में तैयार कर लें।
- अन्य सभी मदों का चौथा पैकैट (नीले रंग) में तैयार कर लें।
- संग्रहण केन्द्र (कलेक्शन सेन्टर) के लिए वापसी यात्रा के कार्यक्रम का अनुसरण करें जहां सील की गयी वोटिंग मशीन तथा अन्य चुनाव सामग्री पैकेट जमा करने होंगें। यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आप संग्रहण केन्द्र पर वोटिंग मशीन तथा अन्य पैकेट उपलब्ध कराकर पावती रसीद प्राप्त करें। ध्यान दें कि आप को 9 विभिन्न वस्तुएं हस्तान्तरित करनी हैः–
- वोटिंग मशीन।
- कुल पड़े मत और पत्र सील संख्या का पत्र ।
- पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र (कवर सहित)।
- पीठासीन अधिकारी की डायरी (लिफाफा कवर सहित)।
- विजिटर सीट लिफाफा सहित।
- 5 लिफाफा का सांविधिक लिफाफा अंकित किया हुआ–प्रथम पैकेट ।
- 11 लिफाफों का असांविधिक लिफाफा अंकित किया हुआ–दूसरा पैकेट ।
- 7 मदों का चुनाव की सामग्री सहित तीसरा पैकेट।
- अन्य सामग्रियों का चौथा पैकेट।

सांविधिक लिफाफों और असांविधिक लिफाफों तथा निर्वाचन सामग्री का बन्द किया जाना (अध्याय 32–3)

1. **मतदान मशीन(कन्ट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट)**

पैकेट नं0 01 का सांविधिक लिफाफा (हरा) कुल छोटे लिफाफों की सख्या–5

पैकेट नं0 01 का सांविधिक लिफाफा (हरा) कुल छोटे लिफाफों की संख्या-5

(क) **प्रथम पैकेटः**– प्रथम पैकेट में नीचे वर्णित मोहर बन्द लिफाफे होने चाहिए और उस पर "**सांविधिक लिफाफे**" लिखा होना चाहिए–

1. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति मुहरबन्द लिफाफा।
2. मतदाता का रजिस्टर(प्रारूप 17–क)का मुहर बन्द लिफाफा।
3. मतदान पर्चियों (स्लिप) का मुहरबन्द लिफाफा।
4. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र का मुहरबन्द लिफाफा।
5. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र (प्रारूप 17 ख) की सूची का मुहरबन्द लिफाफा।

- यदि उपर वर्णित किसी लिफाफे में रखने के लिए कोई विवरण या अभिलेख शून्य है तो भी यदि नोट करते हुए कि विवरण या अभिलेख "शून्य" है, लिफाफे में एक स्लिप **शून्य** लिखकर रखी जा सकती है।

(ख) **द्वितीय पैकेटः–** द्वितीय पैकेट में निम्नलिखित लिफाफे होने चाहिए और उस पर "**असांविधिक लिफाफे**" लिखा होना चाहिए–

- पैकेट नं0 02 का असांविधिक लिफाफा (पीला) कुल छोटे लिफाफों की सख्या–11

1. निर्वाचक नामावली (चिन्हित प्रति से भिन्न) की प्रति या प्रतियों से युक्त लिफाफा।
2. प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा।
3. प्रारूप 12 ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा।
4. प्रारूप 14 में चुनौती दिये गये मतों की सूची से युक्त मुहरबन्द लिफाफा।
5. प्रारूप 14 क में अन्धें और अशक्त निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणाओं का लिफाफा।
6. निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची (उपाबंध 11) से युक्त लिफाफा।
7. चुनौती दिये गये मतों के सम्बन्ध में प्राप्ति पुस्तिका और नकद, यदि कोई हो, से युक्त लिफाफा।
8. अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त लिफाफा।
9. अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा।
10. अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशेष टैग का लिफाफा और ।
11. उपयोग में न लायी गयी एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रीप सील का लिफाफा।

पैकेट नं0 02 का असांविधिक लिफाफा (पीला) कुल छोटे लिफाफों की संख्या-11

(ग) तृतीय पैकेटः– तीसरे पैकेट में निम्नलिखित मदें होनी चाहिए

- पैकेट नं0 03 (भूरा) कुल छोटे लिफाफों की ंस0–7

पैकेट नं0 03 भूरा कुल छोटे लिफाफों की सं0-7

1. पीठासीन अधिकारी के लिये पुस्तिका।
2. इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन की निर्देशिका।
3. अमिट स्याही सेट।
4. बैंगनी रंग के स्टॉम्प पैड ।
5. पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर ।
6. निविदित मतपत्रों को चिन्हित करने के लिये ऐरो क्रासमार्क रबर स्टैम्प।
7. अमिट स्याही रखने के लिये कप।

(घ) **चौथा पैकेटः**– चौथे पैकेट में अन्य समस्त मदें यदि कोई हो तो चौथे पैकेट में रखा जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी की डायरी मतपत्र लेखा 17 ग व मतदाता रजिस्टर 17 क को अलग से संग्रहण केन्द्र पर दिखाने के बाद बड़े लिफाफे में सील कर दें।

5.12 सभी सामग्री को जमा करने के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट से रिलीविंग आदेश प्राप्त कर लें।

5.13 इपिक के द्वारा डाले गये वोटों की सं0 तथा उपलब्ध करायी गई मतदाताओं की सूची से डाले गये वोटों की सं0 उल्लिखित करें। शिफ्टेड वोटर की सूची में कितने मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया, उसका उल्लेख करें।

5.14 पीठासीन अधिकारी के लिए आवश्यक चुनाव सामग्री की सूची–

संलग्नक–2

5.15 पीठासीन अधिकारी के लिए चेके मेमो –संलग्नक–3

पैकेट नं0 04 (नीला) अन्य सभी मदें यदि कोई हो तो उसमें बन्द कर दें।

फोटो पहचान पत्र उपलब्ध न होने की दशा में आयोग द्वारा निर्धारित अन्य विकल्पों की सूची

1) पासपोर्ट।
2) ड्राइविंग लाइसेन्स।
3) आयकर पहचान पत्र(पी0ए0एन0)।
4) राज्य/केन्द्र सरकार,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों,स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटो युक्त पहचान–पत्र।
5) सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों/डाकघरों द्वारा दि0–31.12.2011 को या उससे पहले खोले गये खातों के लिए फोटोयुक्त किसान पासबुक/किसान बही।
6) सम्पत्ति दस्तावेज जैसे कि पट्टा,रजिस्ट्रीकृत विलेख इत्यादि(फोटो युक्त मूल प्रति)।
7) सक्षम प्राधिकारी द्वारा दि0–31.12.2011 को या उससे पूर्व जारी अ0जा0/अ0ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग फोटो युक्त प्रमाण पत्र।

8) दि0–31.12.2011 को या उससे पूर्व जारी पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र/वृद्वावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश।

9) फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र।

10) दि0–31.12.2011 को या उससे पूर्व जारी फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस।

11) सक्षम प्राधिकारी द्वारा दि0–31.12.2011 को या उससे पूर्व जारी शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र।

12) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के अधीन दि0–31.12.2011 को या उससे पूर्व जारी फोटोयुक्त जाब कार्ड।

13) फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड(श्रम मन्त्रालय की योजना) दि0–31.12.2011 को या उससे पूर्व जारी।

14) निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी 'प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची'।

(श्रोत–मु0नि0अ0–153/सी0ई0ओ0–2–22/2/2011 दि0–20.01.12)

संलग्नक–2

किसी मतदान केन्द्र के लिए मतदान सामग्रियों की सूची जहां इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन को उपयोग में लाया जाना है

क0सं0	सामग्री का विवरण	संख्या
1	नियन्त्रण यूनिट	1
2	मतदान यूनिट	1 लडने वालों की सं0 पर निर्भर
3	मतदाताओं के लिए रजिस्टर–17 ए	1 पुस्तक
4	मतदाताओं की पर्चियां	1600
5	निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रति	3
6	CSV अगर हो तो	3
7	मतपत्र(निविदत्त मतों के लिए)	20
8	अमिट स्याही	2(10 सी0सी0 का)
9	एड्रेस टैग नियन्त्रण यूनिट के लिए	5
10	एड्रेस टैग बैलेट यूनिट के लिए	4

11	स्पेशल टैग	1
12	ई0वी0एम0 के लिए ग्रीन पेपर सील	1
13	स्ट्रिप सील	1
14	एरोक्रास मार्क रबर स्टैम्प	1
15	बैंगनी रंग का स्टैम्प पैड	
16	पीठासीन अधिकारी के लिए धातु की मोहर	1
17	माचिस	1
18	पीठासीन अधिकारी की डायरी	1
19	चिन्हित करने वाला रबर स्टैम्प	1
20	डमी बैलेट यूनिट	
21	पोलिंग पार्टी के सभी सदस्यों के लिए आई0डी0	

फार्म–

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	संख्या
1	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची	1
2	चुनौती दिये गये मतों की सूची(प्रारूप–14)	2
3	अन्धे या शिथिलांग मतदाताओं के साथियों के लिए प्रारूप(14 अ)	2
4	निविदत्त मतों की सूची के लिए प्रारूप(17 ब)	2
5	रिकार्ड किये गये मतों का लेखा(17 सी)	10
6	उपयोग में लाये गये पेपर सील का रिकार्ड	2
7	चुनौती दिये गये मतपत्रों की रसीद बुक	1
8	पत्र एस0एच0ओ0 के लिए	4
9	पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र मतदान के पूर्व व पश्चात(पार्ट 1–4)	2
10	अपनी उम्र के बारे में निर्वाचक द्वारा घोषणा के लिए प्रारूप	10
11	ऐसे निर्वाचकों की सूची जिन्होने घोषणा के बाद मत दिया/देने से इन्कार किया(पी–159)	4
12	घोषण पत्र अन्धे या शिथिलांग मतदाताओं के साथी द्वारा	10
13	मतदान अभिकर्ता के पास	10
14	विजिट शीट	2
15	पीठासीन अधिकारी का प्रपत्र–16 बिन्दु रिपोर्ट के लिए जिसे आर0ओ0/चुनाव क्षेत्र अधिकारी को दिये जाना है(पी 167)	2

लिफाफे

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	संख्या
1	छोटे लिफाफे के लिए(स्टेचुअरी कवर–एस.ई.–8)	1
2	निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के लिए लिफाफा(एस.ई.–8)	1
3	निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियों लिए लिफाफा (एस.ई.–8)	1
4	निविदत्त मतपत्रों की सूची के लिए प्रारूप	1
5	पीठासीन अधिकारी के घोषणा पत्र,मतदान के पूर्व व पश्चात के लिए लिफाफा(एस.ई.–7)	1
6	रिकार्ड किये गये मतों का लेखा के लिए लिफाफा(प्रारूप 17 सी)((एस.ई.–5)	1
7	चैलेंज मतपत्रों के लिए(एस.ई.–5)	1
8	अप्रयुक्त और अनुपयोगी पेपर सील का लिफाफा(एस.ई.–5)	1
9	मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र का लिफाफा(एस.ई.–6)	1
10	अन्धें व शिथिलांग मतदाताओं की सूची के लिए लिफाफा(एस.ई.–5)	1
11	पीठासीन अधिकारी की डायरी रिपोर्ट(एस.ई.–6)	1
12	निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए लिफाफा(एस.ई.–5)	1

13	रसीद पुस्तक व कैश जब्त के लिए लिफाफा(एस.ई.–6)	1
14	तुलनात्मक घोषणा पत्र के लिए लिफाफा(एस.ई.–5)	1
15	छोटे लिफाफों के लिए लिफाफा(अन्य)(एस.ई.–7)	1
16	मतदाता रजिस्टर जिसमें मतदाताओं के हस्ताक्षर हों(फार्म –17 ए)(एस.ई.–8)	1
17	अन्य जरूरी जानकारी के लिए लिफाफा(एस.ई.–5)	1
18	छोटे लिफाफों के लिए लिफाफ(एस.ई.–8)	1
19	पीठासीन अधिकारी के रिकार्ड हेतु लिफाफा 40 पीठासीन अधिकारी की डायरी रिपोर्ट(एस.ई. –6) नियम के तहत	1
20	सादा लिफाफा(एस.ई.–7)–2(एस.ई.–8)–3	5
21	अनुपयुक्त मतदान पत्र(एस.ई.–7)	5
22	अन्य कार्यो के लिए जिसे रिटर्निंग आफिसर ने रखने का निश्चय किया है।	1
23	अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग के कवर के लिए(एस.ई.–7)	1
24	अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील के लिए लिफाफा(एस.ई.–7)(लिफाफे छोटे होने की दशा में पैकिंग पेपर का उपयोग व जहां उपयुक्त लिफाफा उपलब्ध न हो तो सादा लिफाफा उपयोग कर उस पर जरूरी जानकारी लाल स्याही से अंकित करे।	1

साइन बोर्ड–

क्र0 सं0	सामग्री का विवरण	संख्या
1	पीठासीन अधिकारी	–
2	मतदान अधिकारी	–
3	प्रवेश	–
4	निर्गमन	–
5	मतदान अभिकर्ता	–
6	क्षेत्र इत्यादि बताने के लिए विविध सूचना नियम 30(1)(अ)	–

लेखन सामग्री–

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	संख्या
1	सामान्य पेन्सिल	1
2	बाल पेन	3 नीला व 1 लाल
3	कोरा कागज	8 पन्ने
4	पिनें	25
5	मोहर बन्द मोम	6 नग
6	मतदान प्रकोष्ठ की सामग्री	4
7	गोंद की लेई	1 बोतल
8	ब्लेड	1
9	मोमबत्ती	4
10	पतला ट्वाईन धागा	20 मी0

11	धातु की पट्टी	1
12	कार्बन पेपर	3
13	तेल पोछने के लिए कपड़ा	3
14	पेकिंग पेपर	2 पन्ने
15	अमिट स्याही की बोतल रखने के लिए कप	1
16	ड्राइंग पिन	24 नग
17	चेक लिस्ट	2
18	रबर बैन्ड	20 नग
19	सेलो टेप	1

- ऐसी सामग्री की सूची जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा क्षेत्र सेक्टर अधिकारी व जिसे उनके द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी/क्षेत्र निर्वाचन अधिकारी को सौंपी जायेगी–
- 1) ऐरो मार्क रबर स्टैम्प
- 2) पीठासीन अधिकारी की धातु की सील
- 3) लेखन सामग्री–
- स्टैम्प पैड
- वोटिंग कम्पार्टमेन्ट बनाने की सामग्री।
- लोहे का स्केल
- अमिट स्याही रखने के लिए डिब्बा
- उपयोग में न ली गई सामग्री।

संलग्नक–3

विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2012

पीठासीन अधिकारियों के लिये चैक मेमो

मद सं0	कार्य जो किया जाना है	अभ्युक्ति
1	रिटनिंग आफिसर से समस्त सुसंगत अनुदेशों को प्राप्त करना और कब्जे में रखना।	क्या प्राप्त करली और रखली है ?
2	मतदान दल के अन्य सदस्यों से परिचय करना और उनके साथ निकट का सम्पर्क बनाये रखना।	क्या ऐसा कर लिया है ?
3	निर्वाचन सामग्री एकत्रित करना।	क्या सुनिश्चित कर लिया है कि समस्त निर्वाचक सामग्री जो प्राप्त की गयी है पर्याप्त मात्रा एवं सं0 में है ?
4	मतदान मशीन की मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियां, ऐरोक्रास मार्क रबड़ स्टाम्प, ग्रीन पेपर सील, मतदाताओं का रजिस्टर, मतदाताओं की पर्चियां, इत्यादि की जॉच कर ली है।	क्या ऐसा कर लिया है ?
5	मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए प्रवेश और निकास अलग–अलग है।	क्या ऐसा सुनिश्चित कर लिया है?

6	नोटिस में मतदान क्षेत्र और नियत निर्वाचकों की सं0 विनिर्दिष्ट कर प्रदर्शित करना तथा साथ में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति प्रदर्शित करना।	क्या नोटिस और सूची को प्रदर्शित कर दिया गया है ?
7	नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिटों को आपस में जोड़ तथा बैटरी चालू करना।	क्या ऐसा कर लिया है ?
8	दिखावटी मतदान का संचालन करना।	क्या संचालन कर दिया है ?
9	नियंत्रण यूनिट के परिणाम भाग पर ग्रीन पेपर सील लगा दी है।	क्या ऐसा कर लिया है ?
10	नियंत्रण यूनिट के परिणाम का मुहरबन्द करना।	क्या ऐसा कर लिया है ?
11	मतदान के प्रारम्भ पर की गयी घोषणा।	क्या ऐसी की गयी है ?
12	मतदान के प्रारम्भ पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की गोपनीयता के बारे में लो0प्र0 अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबंधों को पढ़ लिया है।	क्या ऐसा कर लिया है ?
13	निर्वाचन अभिकर्ताओं को मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट तथा ग्रीन पेपर सील की क्रम संख्यांक नोट करने के लिये अनुज्ञात करना।	क्या अनुज्ञात किया है ?

14	बांयी हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही से चिन्ह लगाना और मतदाताओं के रजिस्टरों (प्रारूप 17 क) पर हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप प्राप्त करना।	क्या ऐसा उचित रूप से कर लिया है ?
15	अप्राप्तवय निर्वाचकों से घोषणा	क्या प्राप्त कर ली है ?
16	पीठासीन अधिकारी की डायरी का रख–रखाव।	क्या समय–समय पर जो कि और जब हों उत्पन्न हुई घटनाओं का अभिलेखन कर लिया हैं ?
17	आगन्तुक पत्रक का रखरखाव	क्या रखरखाव किया है।
18	नियत समय पर मतदान का बंद करना।	क्या ऐसा कर लिया है ?
19	• प्रारूप 17 ग में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा प्रदान कर दिया है।	क्या समस्त मतदान अभिकर्ताओं को अनुप्रमाणित प्रतियां दे दी गयी हैं ?
20	मतदान के बंद करने पर की गयी घोषणा।	क्या ऐसे की गयी है ?
21	मतदान मशीन और निर्वाचन पत्रों का मुहरबन्द करना।	क्या अनुदेशों के अनुसार ऐसा कर दिया है ?

संदेश आधारित (S.M.S) मतदान निगरानी सिस्टम
मोबाइल पंजीकरण प्रक्रिया(पीठासीन/मतदान अधिकारियों हेतु)

क0सं0	घटक	पंजीकरण का दिनांक	पंजीकरण का समय	**SMS** सिंटेक्स	अभियुक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	समस्त पोलिंग पार्टी के पीठासीन अधिकारी और किसी एक मतदान अधिकारी का पंजीकरण	मतदान के 01–02 दिन पूर्व	–	poll <Space>SOI<Space>01<Space>001<Space>001<Space>PO<Space>856	First 3. digits state code then space and put 2 digits District No after that 3 digits AC No and put PS No where PO will registerd and after that Specific the keyword PO(if it is an auxiliary polling station then it will be 3 digits followerd by A or B;001A for Example)RR may arrange for special counter at DC for this registration or registration may be done from the counter where from polling materials will get distributed.RO's representative at these counters will get the registration done by the Presiding Officer and any one of the polling officers of each polling party.It means Presiding Officer/Polling officers will register their mobile in presence of Ro's representative present at the counter and RO's representative will also note down in a register the mobilenumber of the presiding officer and polling officer that have been registered against the assigned AC and Polling Station Nos and last 3 digit authentication code provided by district level.

पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी के द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट

क0सं0	घटक	पंजीकरण का दिनांक	पंजीकरण का समय	SMS सिंटेक्स	अभ्युक्ति (कालम–5 के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	मतदान दल का मतदान स्थल पर सुरक्षित पहुंचना	मतदान के 01 दिन पूर्व	मतदान स्थल पर पहुंचने के तुरन्त बाद	poll <Space>SAP	SAP-Polling Party Safely Arrived at the Polling Station(मतदान दल का मतदान स्थल पर सुरक्षित पहुंचना)
2	मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति एवं नकली मतदान	मतदान के दिन	नकली मतदान के बाद तथा वास्तविक मतदान के पूर्व	poll <Space> MP<Space> 04	MP-Mock Poll Conducted.Last 2 digits stand for no of Polling Agents present for example 4 polling agents present.(नकली मतदान किया गया मतदान अभिकर्ता के लिए 02 अंकों में एस0एम0एस0 करना हैं। उदाहरण–04 मतदान अभिकर्ताओं के सामने नकली मतदान किया गया है।)

3	मतदान आरम्भ	मतदान के दिन	7.15 पूर्वान्ह	poll <Space>PS	PS-Poll Started(मतदान आरम्भ)
4	02 घण्टे पर सूचना(9.00 बजे)	मतदान के दिन	9.00 पूर्वान्ह	poll<Space>9AM <Space>111,98,02	प्रथम 03 अंक पुरूष मतदाता ,दूसरे 02 अंक महिला मतदाता तथा तृतीय 02 अंक अन्य मतदाता। जैसे–111–पु0,98–म0 एवं 02–अन्य।
5	02 घण्टे पर सूचना(11.00 बजे)	मतदान के दिन	11.00 बजे	poll<Space>11AM <Space>111,98,02	प्रथम 03 अंक पुरूष मतदाता ,दूसरे 02 अंक महिला मतदाता तथा तृतीय 02 अंक अन्य मतदाता। जैसे–111–पु0,98–म0 एवं 02–अन्य।
6	02 घण्टे पर सूचना (1.00 बजे)	मतदान के दिन	1.00 बजे	poll<Space>1PM <Space>111,98,02	प्रथम 03 अंक पुरूष मतदाता ,दूसरे 02 अंक महिला मतदाता तथा तृतीय 02 अंक अन्य मतदाता। जैसे–111–पु0,98–म0 एवं 02–अन्य।
7	02 घण्टे पर सूचना (3.00 बजे)	मतदान के दिन	3.00 बजे	poll<Space>3PM <Space>111,98,02	प्रथम 03 अंक पुरूष मतदाता ,दूसरे 02 अंक महिला मतदाता तथा तृतीय 02 अंक अन्य मतदाता। जैसे–111–पु0,98–म0 एवं 02–अन्य।
8	02 घण्टे पर सूचना (5.00 बजे)	मतदान के दिन	5.00 बजे	poll<Space>5PM <Space>111,98,02	प्रथम 03 अंक पुरूष मतदाता ,दूसरे 02 अंक महिला मतदाता तथा तृतीय 02 अंक अन्य मतदाता। जैसे–111–पु0,98–म0 एवं 02–अन्य।
9	मतदान की समाप्ति के समय मतदान हेतु पंक्ति में खड़ें मतदाता	मतदान के दिन	5.15 बजे	poll<Space>Q <Space>10	Q-Stand for Voter in Queue(पंक्ति में खड़े मतदाता) जैसे–10 मतदाता पंक्ति में खड़ें है।

10	मतदान करनें आये कुल मतदाताओं की सं0	मतदान के दिन	मतदान समाप्ति पर और रूप पत्र 17 ग भरने के बाद तथा मतदान स्थल छोड़ने के पहले।	poll<Space>VT <Space>454,381, 002	VT-Stand for Final Voters Turn Out जैसे–454–पुरुष,381–महिलायें तथा 002–अन्य।
11	मतदान की समाप्ति के बाद संग्रहण केन्द्र पर मतदान दल को सुरक्षित पहुंचना	मतदान के दिन	संग्रहण केन्द्र पर मतदान दल के पहुंचनें के बाद।	poll<Space>SAR C	SARC-Stand for Safe Arrival of Polling Party at R.C.
12	ई0वी0एम0 खराब होने पर मतदान बाधित होना	मतदान के दिन	इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर तुरन्त करें।	poll<Space>PRO B <Space>EVM	PROB-Problem, EVM-Problem of Electronic Voting Machine(ई0वी0एम0 के खराब होने पर)
13	कानून व्यवस्था के कारण मतदान बाधित होने की स्थिति में	मतदान के दिन	इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर तुरन्त करें।	poll<Space>PRO B <Space>LW	PROB-Problem, LW-Law & Order Problem (कानून व्यवस्था के कारण)
14	कोई अन्य कारण/समस्या से मतदान बाधित होने पर	मतदान के दिन	इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर तुरन्त करें।	poll<Space>PRO B <Space>OTH	PROB-Problem, OTH- Other Problem (अन्य समस्या पर)
15	उक्त समस्या सं0–12,13,14 हल होने पर	मतदान के दिन	इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर तुरन्त करें।	poll<Space>PRE S	PRES-Means Problem Resolved and Poll resumed in case there is interruption (समस्या के हल होने पर)

- नोट–1) उक्त कार्यवाहियों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदत्त मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 (**SMS**)करें।
- 2) क्रम सं0–12,13 व 14 के सन्दर्भ में एस0एम0एस0 प्राप्त होने के तुरन्त बाद सिस्टम अपने आप एलर्ट हो जायेगा व सम्बन्धित आर0ओ0/ए0आर0ओ0/सेक्टर आफिसर को सन्देश भेजा जायेगा। जिससे तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

- नोट :– कृपया यह ध्यान दें कि उपरोक्त प्रस्तुतिकरण में मुख्य–मुख्य बिन्दु संदेशात्मक रूप में दिये गये हैं। आप पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका, ई0वी0एम0 की पुस्तिका तथा भारत निर्वाचन आयोग के अद्यतन दिशा–निर्देशों का भलीभांति अध्ययन अवश्य करें।

ई0वी0एम0 प्रचालन का सारांश

- अ. मतदान के दिन (मतदान केन्द्र पर)
- (क) मतदान शुरू होने से पहले

बैलेट यूनिट	कंट्रोल यूनिट
1. यूनिट खोलें। 2. बैलेट यूनिट की सीलों की जॉच करें। 3. इसे मतदान खण्ड में रखें।	1. यूनिट खोलें। 2. उम्मीदवार सेट खण्ड की सीलों की जॉच करें। 3. बैलेट यूनिट को कन्ट्रोल यूनिट से जोड़े। 4. यूनिट की स्विच ''आन'' करें। 5. यूनिट क्लियर करें। 6. नकली मतदान का संचालन करें। 7. यूनिट दोबारा क्लियर करें और इसका स्विच ''ऑफ'' करें। 8. रिजल्ट खण्ड के भीतरी हिस्से के ऊपर दरवाजे पर विधिवत हस्ताक्षरित हरित सुरक्षा पेपर सील लगाए। 9. रिजल्ट खण्ड के भीतरी हिस्से को धागे से सील करें। 10. रिजल्ट खण्ड को सील करें और यूनिट के स्विच को ''ऑन'' करें।

- (ख) मतदान के दौरान
- ''टोटल'' बटन दबायें और यह सुनिश्चित कर लें कि नकली मतदान में डाले गये कुल मतों की संख्या शून्य है।
- पहले मतदान की पहचान करने, अमिट स्याही लगाने और उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेने के पश्चात कन्ट्रोल यूनिट का ''बैलेट'' बटन दबाये।
- सम्बन्धित मतदाता को उसके मत रिकार्ड करने की अनुमति दे। लाल ''बिजी'' लैम्प और बीप की आवाज बन्द होने का इन्तजार करे। प्रथम या द्वितीय मतदाता के मतदान के बाद वोटों की रिकोडिंग को सुनिश्चित करने के लिये ''टोटल'' बटन दबायें।
- दूसरे मतदाता के लिए सं0 2 के अनुसार कार्यवाही दोहरायें और मतदान की समाप्ति तक इसी प्रकार दोहराते रहें। कुछ अन्तराल के बाद यह सुनिश्चित करें कि डाले गए मतों की कुल संख्या और वास्तविक मतदाताओं, जिन्हे उनका मत रिकार्ड करने की अनुमति दी गई है, का मिलान हो रहा है।
- मतदान के दौरान ''क्लोज बटन'' के फ्लैप को न खोलें।
- मतदान के दौरान यदि बैलेट यूनिट के ''कैण्डीडेट लैम्प'' में कोई शिकायत है तो बैलेट यूनिट तथा कन्ट्रोल यूनिट दोनों को तत्काल बदलें, तथा इसकी सूचना आयोग को प्रेषित करायें।

- (ग) मतदान की समाप्ति पर
- ''क्लोज'' बटन के ऊपर रिजल्ट खण्ड से जुडे हुए नीले रबर कैप को हटायें।
- ''क्लोज'' बटन दबायें।
- ''टोटल'' बटन दबायें और मतदान की समाप्ति तक डाले गए कुछ मतों की संख्या लिख लें।
- ''क्लोज'' बटन के ऊपर रिजल्ट खण्ड से जुडे हुए काले रबर कैप को प्रतिस्थापित कर दें।
- निचले हिस्से को खोले और यूनिट का स्विच ऑफ करें। एक दूसरे को जोड़ने वाली केबिल को अलग करें।
- कन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट दोनों को पैक करें और दोनो के कैरिंग बक्सों को सील करें।

ई0वी0एम0 के दोष और सुधार

क्र0 सं0	दोष की प्रकृति	कारण	सुधार
1	जब ई0वी0एम0 मशीन को ''ऑन'' किया जाता है और ''ऑन लैम्प'' नहीं चमकता।	पावर पैक ठीक प्रकार से नहीं लगाया गया है या पावर पैक कमजोर है।	पावर पैक ठीक से लगायें या पावर पैक के स्थान पर नया पावर पैक लगाएं।
2.	जब ई0वी0एम0 मशीन को ''ऑन'' किया जाता है और कोई ''बीप'' ध्वनि और प्रदर्शन संकेत नहीं आता है।	कंट्रोल यूनिट में दोष है और प्रयोग के लायक नहीं है।	यदि मतदान के दौराना ऐसा हो तो कंट्रोल यूनिट तथा बैलेट यूनिट बदलें और आयोग को सूचित करें। यदि मतदान के पूर्व ऐसा हो तो केवल सी0 यू0 को बदलें।

3	प्रदर्शन ''नहीं'' दर्शाता है और ''बीप'' ध्वनि सुनाई देती है। (क) जब ''केन्ड सेट'' बटन दबाया जाता है। (ख) जब ''क्लियर'' बटन दबाया जाता है। (ग) जब ''बैलेट'' बटन दबाया जाता है। (घ) जब ''रिजल्ट'' बटन दबाया जाता है।	दबाया गया बटन प्रचालन के ठीक क्रम में नहीं है। बैलेट या क्लोज बटन पहले से ही दबाया गया था। पूर्व मतदान का परिणाम नहीं दिखाई देता है। क्लोज बटन मतदान समाप्त करने के लिए दबाया जाता है और आगे मतदान संभव नहीं होता है। जब क्लोज बटन को दबाकर मतदान समाप्त नहीं किया गया हो।	बटन को केवल ठीक क्रम मे ही दबाए। ई0वी0एम0 मशीन ''केन्ड सेट'' बटन को तभी स्वीकार करती है जब यह किलियर हो। इसलिए ''केन्ड सेट'' बटन दबाने से पहले किलियर बटन को दबायें । ई0वी0एम0 मशीन ''क्लियर'' बटन को तभी स्वीकार करती है जब पिछले मतदान का परिणाम कम से कम एक बार देख लिया जाय। अतः रिजल्ट–1 बटन दबायें। यह बटन केवल तभी प्रभावी होगा जब पहला परिणाम देख लिया गया है और ई0वी0एम0 मशीन क्लियर कर ली गई है। रिजल्ट–1 दबाने से पहले क्लोज बटन दबा कर मतदान को बन्द करे।

4	डिस्प्ले ''एरर'' दर्शाता है और ''बीप'' आवाज सुनाई देती है।	कंट्रोल यूनिट में दोष है और इस्तेमाल करने लायक नहीं है।	यदि मतदान के दौरान ऐसा होता हो तो कन्ट्रोल यूनिट तथा बैलेट यूनिट दोनों को बदलें तथा आयोग को सूचित करें। यदि मतदान के पूर्व ऐसा हो तो सिर्फ सी0यू0 को बदलें।
5	डिस्प्ले सेट कंडीडेट दर्शाता है और निरन्तर बीप की आवाज सुनाई देती है।	निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सं0 सेट करने के लिये बैलॅटिंग यूनिट पर उम्मीदवारों के बटन दबाने के लिये ई0वी0एम0 मशीन इंतजार कर रही है।	बैलॅटिंग यूनिट आखिरी बिना मास्क चढ़ाये हुए उम्मीदवार के बटन को दबाए।
6	कन्ट्रोल यूनिट में ''टोटल'' बटन पर कोई उत्तर नहीं है।	बिजी लैम्प ''ऑन'' है।	मतदाता को उसका मत रिकार्ड करने की अनुमति दें। एक बार जब मत रिकार्ड हो जाता है तो बिजी लैम्प ऑफ हो जाता है।

7	जब पीठासीन अधिकारी ''बैलेट'' बटन दबाता है तो ''बिजी'' लैम्प नहीं चमकता है। इसके बजाय प्रदर्शन पैनल पर लिंक एरर–1 आती है और थोड़ा रूक कर ''बीप'' आवाज सुनाई देती है।	एक दूसरे को जोड़ने वाली केबिल ठीक प्रकार से नहीं जोड़ी गई है या टूट गई है और उनका सम्पर्क ठीक नहीं है।	एक दूसरे को जोड़ने वाली केबिल को यदि आवश्यक हो तो बाहर निकालकर और दोबारा जोड़कर ठीक प्रकार से से जोड़े।
8	जब पीठासीन अधिकारी बैलेट बटन दबाता है तो ''बिजी लैम्प'' नहीं चमकता है। इसके बजाय प्रदर्शन पैनल पर प्रेस्ड एरर आता है और रूक रूक कर ''बीप'' आवाज सुनाई देती है।	किसी मतदाता द्वारा बैलॅटिंग यूनिट का कोई बटन दबा या उलझा रह गया है और यह अपनी मूल स्थिति में वापिस नहीं आ रहा है।	मतदान कम्पार्टमेंट के अन्दर जाएं और सभी बटनों को एक बार हल्के से दबायें दबाया गया बटन अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा और प्रेस्ड एरर प्रर्दशन और ''बीप' आवाज फिर नहीं होगी। ''बैलेट'' बटन को दबाकर सामान्य मतदान जारी रखा जा सकता है।
9	किसी कुंजी आपरेशन को स्वीकार करने के बाद,डिस्प्ले पैनल...........का संकेतन देता है।	पावर पैक ठीक से नहीं लगाया गया है। पावर पैक कमजोर हो गया होगा।	पावर पैक को ठीक से लगाये। पावर पैक को इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन के लिये विशेष पावर पैक से बदलें।

•क्या करें और क्या न करें।

• यह करें

•इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन को चलाने से पहले मैनुअल को ध्यान से पढ़े।

•विनिर्दिष्ट रीति से और हल्के से सिटकनी दबायें।

•इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन को धूल गर्मी, वर्षो आग व अन्य इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखें।

•निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष रूप से सप्लाई की गई बैटरी का इस्तेमाल करें।

•यदि कोई कठिनाई अनुभव होती है तो निर्वाचन आयोग या बी0ई0एल0(भारत इलैक्ट्रनिक्स लिमिडेट, बैंगलोर) को सूचित करें।

•लम्बी अवधि के लिये रखते समय कन्ट्रोल यूनिट से बैटरी निकाल लें।

•यह सुनिश्चित करें कि खोलते समय बैलॅटिंग यूनिट और कन्ट्रोल यूनिट के हिस्से/भाग के कवर/दरवाजें समतल सतह पर रखे जाएं।

•यह सुनिश्चित करें कि इसे दबाने से पहले एक दूसरे को जोड़ने वाली केबिल का कनेक्टर सही रूप से कन्ट्रोल यूनिट के कनेक्टर के साथ जुड़ जाए। यह केवल एक ही दिशा में जुड़ेगीं।

•मतदान के दौरान जब सी0यू0 या बी0यू0 में से किसी एक में शिकायत आने पर बदलने की नौबत आये तो बी0यू0 तथा सी0यू0 दोनों को बदलना है। मतदान के दिन, मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व बी0यू0 तथा सी0यू0 जिसमें भी खराबी हो, उसी को बदलना है (दोनों को नहीं)।

- <u>यह नहीं करें</u>
- सिटकिनियों, कब्जों आदि पर अतिरिक्त दबाव न डालें।
- इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन को हीटर या किसी अन्य गर्म वस्तु के पास न रखें।
- सील करते समय इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन के ऊपर पिघली मोम नहीं गिरनी चाहिये।
- विभिन्न भागों के कवर और दरवाजे को जोर लगा कर न खोलें।
- कन्ट्रोल यूनिट का ऊपरी कवर खोलने की कोशिश न करें (पेचों को खोल कर)
- पावर पैक सील को तब तक न खोले जब तक कि इस्तेमाल करने के लिये जरूरी न हो।
- एक दूसरे को जोड़ने वाली केबिल के अन्त में जुड़े कनेक्टर को किसी सख्त/सतह वस्तु से प्रहार/टक्कर न लगायें।
- कन्ट्रोल यूनिट के अन्दर दिये गये कनेक्टर में लगे एक दूसरे को जोड़ने वाली केबिल के अन्त में जुड़े कनेक्टर को विपरीत दिशा में न लगायें।
- कन्ट्रोल यूनिट से एक दूसरे को जोड़ने वाली केबिल का अलग करते समय कनेक्टर के हुड पर स्प्रिंग टाइप क्लिप को बिना दबाए इस केबिल को न खीचे।
- (ई0वी0एम0 अनुदेश निर्देशिका पृष्ठ 60)

जब ''क्लीयर'' बटन को दबाया जाये तो कन्ट्रोल यूनिट के डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित होगा–

DELETING POLLEDVOTES

CANDIDATES 5

TOTAL POLLED VOTES 0

CANDIDATE – 01 VOTES – O

CANDIDATE – 02 VOTES – O

CANDIDATE – 03 VOTES – O

CANDIDATE – 04 VOTES – O

CANDIDATE – 05 VOTES – O

END

यदि मशीन 5 उम्मीदवारों के लिए सेट किया गया हो।

क्लोज बटन को दबाये जाने पर डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित होगा

CLOSING

DATE
TIME

यदि मशीन 16 उम्मीदवारों के लिए सेट की गयी है।

SL NO- H0003

अगर मतदान किये गये मतो की सं0 200 हो

CANDIDATES 16

TOTAL POLLED VOTRS-200

POLL CLOSED

जब रिजल्ट बटन को दबाया जाये तो डिस्प्ले बोर्ड पर निम्न प्रकार प्रदर्शित होगा–

COMPUTING RESULT

POLL RESULT PDT 16-01-07

यदि मशीन 6 उम्मीदवारों के लिए सेट की गयी है

PST 09-50-20
PED 15-32-10

SL NO- H00003

CANDIDATES 6

TOTAL POLLED VOTES- 24

CANDIDATE – 01
VOTES - 6

CANDIDATE- 02
VOTES- 06

CANDIDATE- 03
VOTES- 06

CANDIDATE- 04
VOTES- 06

END

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त समस्त बिन्दु सांकेतिक हैं। विस्तृत अध्ययन के लिए कृपया पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका, ई0वी0एम0 हस्तपुस्तिका, भारत निर्वाचन आयोग के अद्यतन दिशा–निर्देश का अनुपालन करें।

धन्यवाद